

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ. 3 (ख)(1)अलेसे-II/14551

दिनांक:-24 जुलाई 2013

कार्यालय आदेश

श्री लक्ष्मणलाल, लेखाकार (लिंक नं. 2274), ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बालोतरा जिला बाडमेर को अपने कार्य के साथ-साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोतरा जिला बाडमेर में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करने के अधिकृत किए जाते हैं। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत नियमानुसार अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।


निदेशक

क्रमांक: एफ. 3 (ख)(1)अलेसे-II/14551-56

दिनांक:-24 जुलाई 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाडमेर।
2. कोषाधिकारी, बाडमेर।
3. उप कोषाधिकारी, बालोतरा जिला बाडमेर।
4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी बालोतरा जिला बाडमेर।
5. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा का वेबसाइट पर अपलोड करने।
7. श्री लक्ष्मणलाल, लेखाकार, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बालोतरा जिला बाडमेर को पालनार्थ।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)